

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 41/2024 शीर्षक सरकार बनाम बाबू लाल

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
26/12/2024	<p>पत्रावली चेक हुई। प्रार्थी-पेंवेना, सरकार (उपस्थित) अप्रार्थी-सोखा 01 बाबू लाल कन्यागामिन के अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी-सोखा 01 दिनांक 19/02/25 को पेश किया।</p>	
19/02/2025	<p>पत्रावली चेक हुई। प्रार्थी-पेंवेना, सरकार (उपस्थित) अप्रार्थी-सोखा 01 बाबू लाल कन्यागामिन के अनुपस्थित। बार-बार भावार्थ लगाई गईं किंतु अप्रार्थी-सोखा 01 उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी सोखा के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी-पेंवेना, सरकार द्वारा बहल हेतु विवेदन किया गया। प्रार्थी-पेंवेना, सरकार कि बहल सुनी गई। बहल पर मनन किया गया। प्रार्थी-पेंवेना, सरकार ने मूल प्रार्थना पत्र के निष्कारण तक मीठ व रिफिट की पक्षा-सिद्धी बनाए रखने हेतु विवेदन किया गया।</p> <p>अतः प्रार्थी-पेंवेना, सरकार का प्रार्थना पत्र अनर्गत धारा 212 खण्ड 1 का अंतर्कारी आदेशों का अस्वीकार किया जाकर ग्राम - भून्दा परिवार मठल भून्दा तह देवाह के आ. नं. 102 रुबरा 0.8400 हेक्टेयर प्रार्थी के वर्तमान मीठा व रिफिट कि पक्षा सिद्धी मूल प्रार्थना पत्र के निष्कारण तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थी-सोखा 01 को पाबन किया जाता है। पत्रावली के लाल सुमार हो नम्बर से रफ्त की जावे।</p>	

सहायक कलेक्टर
 देवगढ़, जिला-राजसमन्द